राजस्व प्रार्थना पत्र 80/2020
जीसीएमएसम नंबर 2020/00224
सुमन उर्फ सुमित्रा बनाम सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टए एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र– 80/2020

प्रार्थी–

1. सुमित्रा उर्फ सुमन देवी पत्नी शैतानराम जाति जाट , निवासी– डिडिया कलां तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 19.05.2022

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया का वास्तविक नाम सुमित्रा पत्नी शैतानराम ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा डिडिया कलां तहसील जायल के सम्वत् 2068–2071 खतौनी सं. 369 के खसरा नम्बर 268, 269 में एवं वर्तमान खाता संख्या 436 में खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थीया के मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू/1334713, भामाशाह परिवार पहचान कार्ड संख्या वीएक्सजेडडब्लूएसजेएच व आधार कार्ड संख्या 2105 4050 2489, राशन कार्ड संख्या 008272100412, बैंक ऑफ बड़ोदा के खाता संख्या 10280100016063 की बैंक डायरी मे प्रार्थीया का सही नाम सुमित्रा पत्नी शैतानराम दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थीया को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक 27.04.2022 को मय हल्का पटवारी डिडिया कलां की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थीया का नाम वर्तमान जमांबदी संम्वत 2073–2076 स्थायी में खाता संख्या 436 में सुमन देवी पत्नी

19/05/2022

शैतानराम खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थीया के ग्राम डिडिया कलां के खाता संख्या 436 खसरा नंबर 268, 269 में खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीया को गांव में वर्तमान में भी सुमन के नाम से जाना व पुकारा जाता है जिस कारण से मुतदाविया खेतायों के बेचान खरीद के वक्त दस्तावेज लिखने वाले को सुमन नाम बता दिया तथा उसी नाम से बेचान की रजिस्ट्री होकर उसी नाम से नामान्तकरण होकर खाता संख्या 436 में दर्ज हो गया। प्रार्थीया के अन्य दस्तावेज मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू/1334713, भामाशाह परिवार पहचान कार्ड संख्या वीएक्सजेडडब्लूएसजेएच व आधार कार्ड संख्या 2105 4050 2489, राशन कार्ड संख्या 008272100412, बैंक ऑफ बड़ोदा के खाता संख्या 10280100016063 की बैंक डायरी में नाम सुमित्रा पत्नी शैतानराम दर्ज है। प्रार्थीया ने मुतदाविया खेताय जरिये रजिस्र्टड विक्रय पत्र खरीद किया था जिसमें प्रार्थीया का नाम सहवन से सुमन देवी दर्ज किया था। प्रार्थीया को गांव में बोलचाल में सुमन नाम से पुकारने के कारण प्रार्थीया का नाम नामान्तकरण को दर्ज करते समय सुमन देवी दर्ज किया गया था। उपस्थित मौतबिरानों ने सुमित्रा तथा सुमन देवी दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति/महिला के होना बताया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी डिडियाकलां तहसील जायल की रिपोर्ट, मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू/1334713, भामाशाह परिवार पहचान कार्ड संख्या वीएक्सजेडडब्लूएसजेएच व आधार कार्ड संख्या 2105 4050 2489, राशन कार्ड संख्या 008272100412, बैंक ऑफ बड़ोदा के खाता संख्या 10280100016063 की बैंक डायरी तथा ग्राम डिडियाकलां नकल खतौनी सम्वत् 2068–2071 खाता संख्या 369 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थीया की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में डिडियाकलां के खतौनी सं. 436 में अंकित खसरान् में प्रार्थीया का नाम सुमन देवी पत्नी शैतानराम के स्थान पर सुमित्रा पत्नी शैतानराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज डिडिया कलां तहसील के खतौनी सं. 436 में वर्णित खसरान की भूमि जो कि प्रार्थीया की खरीदसुदा भूमि है जिसके नामान्तकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है तथा खातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू/1334713, भामाशाह परिवार पहचान कार्ड संख्या वीएक्सजेडडब्लूएसजेएच व आधार कार्ड संख्या 2105 4050 2489, राशन कार्ड संख्या

008272100412, बैंक ऑफ बड़ोदा के खाता संख्या 10280100016063 की बैंक डायरी की फोटो प्रति में प्रार्थीया सुमन देवी एवं सुमित्रा एक ही व्यक्ति/महिला के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थीया का सही नाम जो कि खरीद सुदा भूमि के नामान्तकरण के समय सुमित्रा के स्थान पर सुमन देवी दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि सुमन देवी एवं सुमित्रा दोनो एक ही महिला/व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम डिडिया कलां के खाता संख्या 436 में दर्ज खातेदार नाम सुमन देवी पत्नी शैतानराम के स्थान पर वास्तविक नाम सुमित्रा पत्नी शैतानराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : **आदेश** : : –

यत् प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम डिडिया कलां तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 436 दर्ज नाम सुमन देवी पत्नी शैतानराम के स्थान पर सुमित्रा पत्नी शैतानराम दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 18/05/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

18/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल